भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 417वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
दिनांक एवं समय- 07 दिसम्बर, 2023 अपराह्न 02.00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - ***अध्यक्ष***
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (*वस्तुतः उपस्थित हुए*)
3. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

<u>कार्यसूची 01</u>

416वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>कार्यसूची 02</u>

<u>मामला संख्या: 01</u>

(श्रीमती भागीरथी पत्नी संजीव कदम, धनारागी, विजयपुरा, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 742/D, प्लॉट नंबर 43 और 44, महलबगायत, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **10.60** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली,

छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=124.80 वर्गमीटर, 2एफ=36.60 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 02</u>

(श्री सिराजुद्दीन जे. नाइकोडी और श्रीमती फरीदाबेगम एस. नाइकोडी पुत्र जहीरुद्दीन नाइकोडी, जेएम रोड, बगायत गली, इकरा स्कूल के पास, बीजापुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित की जानी चाहिए।
ख) फॉर्म I/फॉर्म II में बेसमेंट की गहराई का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 03</u>

(श्री लक्ष्मण पुत्र शंकर पवार और श्रीमती मालाश्री पुत्री नरसिंग राठौड़, निवासी इंगनल टांडा, पोस्ट-अलियाबाद, विजयपुर, कर्नाटक-586112)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीटीएस नंबर 1292बी, प्लॉट नंबर 129, अंकलिकर लेआउट, जागृति कॉलोनी, रंभापुर रोड, विजयपुर, कर्नाटक में कुल **08.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौरं पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1

मंजिल के साथ जीएफ=96.40 वर्गमीटर, 1एफ=104.29 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 04</u>

(मोहम्मद इरफान ए महलदार, वार्ड नंबर-28, सहारा हॉल रोड, सादत मस्जिद के पास, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित की जानी चाहिए।

ख) प्रस्तावित निर्माण स्थल का स्वामित्व स्थापित करने के लिए आवेदक के नाम का संपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 05</u>

(श्री मेहिबूबखदरी एम. पीरजादे, दिवातागेरी गली, राघवेंद्र मंदिर के पास, स्टेशन रोड, बीजापुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीटीएस नंबर 1958/2, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=64.85 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने

की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 06

(महाप्रबंधक, जनता बाजार विजयपुर, श्री हनमंतराव पुत्र गुंडेराव कुलकर्णी बसावन, बागेवाड़ी रोड, कीर्ति नगर, प्लॉट नंबर 819, विजयपुर कर्नाटक 586104)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 23/1/24E, प्लॉट नंबर P57, महलबगायत, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=364.08 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 07

(श्री नागनगौड़ा सिद्दनगौड़ा पाटिल, घर नं. 2632ए/2, दासर चवाल, नागाशेट्टीकोप्पा, वीटीसी: केशवपुर, डाकघर: हुबली केशवपुर, उप जिला: हुबली, जिला-धारवाड़, कर्नाटक-580023)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने अधिकतम ऊंचाई **07.50** मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखते हुए और आवेदक को तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या: 08

(श्री भारतीश एस कालकेरी पुत्र शमारव कालकेरी, जोरापुरपेठ, अदाकिगल्ली, विजयपुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने वार्ड नंबर 1, सीटीएस नंबर 1814/ए/2 और 1814/ए/1, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.43** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=66.07 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 09</u>

(श्री एम.के. शम्सू, मुस्लिम वीटिल हाउस, थानाल, गुरुवयूर, पीओ, त्रिशूर, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 313/1, वार्ड नंबर 11, आलूर गांव में दरवाजा नंबर 517/11 के पास, कंदनास्सेरी, पंचायत में कुल **07.40** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=88.41 वर्गमीटर, 1एफ=48.16 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 10</u>

(श्री बोबन सी.के, चुंगथ हाउस, कांजीराकोड पीओ, वडक्कनचेरी, त्रिशूर- 680590, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्रस्तावित स्थल पते का उल्लेख करते हुए अनुपालन के बाद आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या: 11

(श्री भगवान सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह, ग्राम-सतई, पसरीहा, पोस्ट-पिउली, जिला-गोपालगंज-841436, बिहार)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने अर्जी नंबर 718, मौजा-अनुरुधवा, परगना और तहसील-कासिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में कुल **07.50** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=971.08 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 12

(मैसर्स कैसाग्रैंड मैग्नम प्राइवेट लिमिटेड, एनपीएल देवी, नंबर 111, एलबी रोड, तिरुवन्मियूर, चेन्नई-600041, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-I/फॉर्म-II में स्वामित्व दस्तावेज़ की स्थिति का उल्लेख व्यक्तिगत के रूप में किया गया है, हालांकि, संपत्ति का स्वामित्व एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है।
ख) स्वामित्व दस्तावेज में आवेदक का नाम अंकित नहीं है।
ग) श्री सुमनाथ कृष्णा को अधिकृत करने वाला कंपनी का बोर्ड संकल्प संलग्न नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 13

(श्री वी. मुरली, श्री टी. सुंदरगणेश और श्री वी.एस. रमेश कुमार, दरवाजा नंबर 26, मुथन्ना नगर, साउथ वेल्लोर टाउन, वेल्लोर तालुक, वेल्लोर जिला-632001, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने विरासत प्रभाव मूल्यांकन (एचआईए) रिपोर्ट के साथ आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से प्रस्ताव फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया क्योंकि प्रस्तावित निर्माण का निर्मित क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक है।

मामला संख्या: 14

(कमर्शियल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड निदेशक, श्री ऋषि गुप्ता, 11, एमजी मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ-226001 के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) संपत्ति का प्लॉट क्षेत्रफल 390.33 वर्गमीटर है, जिसमें संपत्ति का दो-तिहाई हिस्सा फ्रीहोल्ड और एक तिहाई लीजहोल्ड है। लीजहोल्ड दस्तावेज़ से पता चलता है कि यह एक आवासीय भूखंड है जबकि प्रस्तावित निर्माण वाणिज्यिक भवन के लिए है।

ख) भवन योजना में बेसमेंट का निर्माण 80.30 वर्ग मीटर दर्शाया गया है, जिसका उल्लेख प्रपत्र-1 में नहीं किया गया है।

ग) फॉर्म-I/स्थल योजना में उल्लिखित क्षेत्र विवरण फॉर्म-II अर्थात स्थल योजना से अलग है, इसे 1एफ=2एफ=112.20 वर्गमीटर और 3एफ=92.70 वर्गमीटर के रूप में उल्लिखित किया गया है जबकि फॉर्म-II में इसे 1एफ=2एफ=109.20 वर्गमीटर और 3एफ=89.70 वर्गमीटर बताया गया है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ के माध्यम से उचित स्व-घोषणा के साथ प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 15

(श्री संजीव किशोर और अन्य के श्री आनंद कुमार बंसल (जीपीए), खसरा नंबर 39(2-12-134), खाता/खतौनी नंबर 39/54, जमाबंदी 2015-16, वाइका रकबा अमृतसर, शहरी सर्कल नंबर 109, आबादी पुल तांगा, कॉपर रोड, अमृतसर, पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, पंजाब के माध्यम से स्पष्ट और सुपाठ्य भवन योजना पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या: 16

(श्री भूपिंदर सिंह, जीपीओए स्व. अवतार सिंह और स्व. बलिहार सिंह पुत्र स्व. नरांजन सिंह, नया बाजार, नियर सिधू मार्किट, नूरमहल, तहसील फिल्लौर जालंधर, पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने अधिकतम ऊंचाई **07.50** मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखते हुए और आवेदक को तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या: 17

(श्री चिरंजीत सरकार पुत्र अशोक सरकार, हेतिया, जॉयपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल-722138)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से प्रस्तावित निर्माण स्थल के तलक्षेत्र का उल्लेख करते हुए संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या: 18

(श्रीमती सोमा सरकार, हेतिया, जॉयपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल-722138)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से प्रस्तावित निर्माण स्थल के तलक्षेत्र का उल्लेख करते हुए संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

<u>मामला संख्या: 19</u>

(श्री शामू बसैया गुट्टेदार, वार्ड नंबर 15, मकान नंबर 1911/ए/ए1, मुकुंद नगर विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सी.टी.एस. नं. 177/A/1A/1, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **12.00** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+3 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=2एफ=3एफ=273.68 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 20</u>

(श्री अविनाश वी जुगती, आश्रम रोड, शिव योगी नगर, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने वार्ड नंबर IV, सीटीएस नंबर 854, वार्ड नंबर IV, सीटीएस नंबर 854/बी+854/सी, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.49** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ (पार्किंग)=1एफ=2एफ=129.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के

अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 21

(श्री सुरेश के कबाड़ी पुत्र कल्लप्पा कबाड़ी, वार्ड नंबर 09, मिनाजगी गली, राम मंदिर रोड, बीजापुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 491/बी और 492/बी, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.10** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=38.55 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 22

(श्री प्रवीण कबाड़े, पुत्र शेखर, मिनीजिगी गली, राम मंदिर रोड, बीजापुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 491/ए और 492/ए, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.10** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=34.99 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 23

(श्रीमती शकुंतला पुत्री हनमंत राव कुलकर्णी, तोरावी रोड, विजयपुर, कर्नाटक - 586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीटीएस नंबर 901/902, मिर्डे गली, शट्टी चौक, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.75** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=पार्किंग, 1एफ= 35.72 वर्गमीटर, 2एफ=22.06 वर्गमीटर वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 24

(श्री टी. नटराजन, नंबर 17 एयरपोर्ट स्ट्रीट एआरजी नगर, एयरपोर्ट स्ट्रीट, ओल्ड पल्लावरम चेन्नई-600117, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 3, पुराना क्रमांक 297/2, नया आरएस नंबर 297/2ए1बी और 297/2ए1सी, कीलकट्टलाई गांव, पल्लावरम तालुक, चेंगलपेट जिला (तांबरम कॉर्पोरेशन लिमिट्स) में कुल **07.32** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ=1एफ=38.60 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 25

(श्री बी बालाजी और श्रीमती बी प्रसन्ना, नंबर 11ए, ईस्ट माडा स्ट्रीट मैडमबक्कम, चेन्नई 600126, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 12, पुराना सर्वे नंबर 613/1 और 613/2, नया सर्वे नंबर 613/1ए4 और 613/2एफ, पट्टा नंबर के अनुसार 11419, चंद्रप्रभु नगर एक्सटेंशन, मदमबक्कम गांव, तांबरम तालुक, जोन-V, तांबरम शहर नगर निगम सीमा, चेंगलपट्टू जिला में कुल **07.45** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=40.62 वर्गमीटर, चारदीवारी=1.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 26

(श्री दीपक माहेश्वरी पुत्र श्री रामकिशन माहेश्वरी, वार्ड क्रमांक-15 चौखड़ा विहार, सनावद, जिला खरगोन मध्य प्रदेश)

आवेदन पर गौर करने के बाद, प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने का फैसला किया** क्योंकि एसए, एएसआई, भोपाल सर्कल की रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण के दौरान इमारत का निर्माण पूरे जोरों पर पाया गया। प्राधिकरण ने यह कारण जानना चाहा है कि एएसआई, भोपाल सर्कल के कार्यालय द्वारा स्टॉप/कारण बताओ नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया।

अतिरिक्त कार्यसूची

दिल्ली मामला संख्या 27

(सईद उई अराफ़ीन और संजय नारंग, एफ-2, निज़ामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 4596/6-डी पर स्थित 11, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 में 17.99 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=1एफ=2एफ=3एफ=73.976 वर्ग मीटर और बेसमेंट की गहराई=2.90 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश करने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।